कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक/बैठक/2019/–106 दिनांक :: 11 मार्च, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 7 मार्च, 2019 को सांय 4.00 बजे श्री ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने बैठक में गत बैठक में लिये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट (एक्सन टेकन रिपोर्ट) भी आगामी सात दिवस में समस्त सदस्यों को प्रेषित करने के निर्देश के साथ यह भी निर्देश प्रदान किये कि भविष्य में होने वाली समस्त प्राधिकरण बैठकों में एजेण्डा संख्या–2 गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट (एक्सन टेकन रिपोर्ट) हेतु नियत किया जावे ताकि गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना की समस्त सदस्यों को जानकारी हो सके।

प्रस्ताव संख्या 2 :: माता का थान नाला भू अवाप्ति प्रस्ताव अनुमोदन

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर प्रकरण संख्या डीबीसी/7038/2015 माधो सिंह कच्छवाहा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 13.11.2018 की पालना में जोधपुर शहर में बरसाती पानी के सुगम निकासी हेतु भविष्यगामी योजना को दृष्टिगत रखते हुए माता का थान सारण नगर रेलवे लाईन मुख्य बाईपास पर प्रस्तावित नाला निर्माण हेतु प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम नान्दडी, पूंजला, खोखरिया व गुजरावास खुर्द के विभिन्न खसरान् की निजी खातेदारी भूमि की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए भूमि अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पत्रांक 2134 दिनांक 07.03.2018 तहसीलदार राजस्व जोधपुर को लिखा गया। तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक भूअ/2018/1128 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित एलायेमेंट अनुसार माता का थान नाला निर्माण के प्रभावित गांवों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	गांव का नाम	कुल खसरों की संख्या	अवाप्ताधीन भूमि का रकबा बीघा में	वर्गफीट	प्रचलित बाजार दर (डीएलसी दर) प्रति बीघा
1	नान्दडी	03	05.01.00	87991	4796880/–
2	पूंजला	10	09.06.00	162043	6193710/–
3	खोखरिया	28	16.18.07	294771	3407880/–
4	गुजरावास खुर्द	04	03.07.16	57067	2099970/–
	योग 04 चार गांव	45 खसरे	34.13.03	601872	—

प्रस्तावित माता का थान नाले के एलायमेंट अनुसार नाले की चौडाई 30 फीट एवं लम्बाई लगभग 7.5 किलोमीटर है जो उपरोक्त 4 गांवों के विभिन्न 45 खसरान् की लगभग कुल 34 बीघा 13 बिस्वा 03 बिश्वांशी निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। तहसीलदार उत्तर की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 के अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डीएलसी) के तहत कुल भूमि की कीमत 14,65,97,455/– बतलाई है।

भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत संभावित मुआवजा राशि का निर्धारण/गणना होगी।

क	सभी गांवों की डीएलसी दर अनुसार संभावित कीमत	14,65,97,455/–
ख	शत प्रतिशत सोलेशियम राशि	14,65,97,455/–
ग	10 प्रतिशत भौतिक संरचना एवं पेडों की राशि	2,93,19,491/–
	अवाप्ति हेतु संभावित व्यय का योग	32,25,14,401/–
घ	धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से अंतिम अवार्ड जारी होने की तिथि तक की ब्याज राशि की गणना की जानी बाद में संभव होगी।	—
ड	नाला निर्माण हेतु संभावित राशि तकनीकी अधिकारियों द्वारा संभावित राशि बतलाई गई।	23,31,00,000/–
	कुल योग–	55,56,14,401/–

उक्त माता का थान नाला निर्माण की सीमा में आने वाली भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं खडे पेडों की स्थिति ज्ञात करने एवं राजस्व अभिलेख अनुसार प्रभावित भूमिधारकों/खातेदारों की सूची तैयार करने हेतु प्राधिकरण के अभियांत्रिकी शाखा के तकनीकी अधिकारी, राजस्व शाखा के तहसीलदार एवं पटवारी तथा तहसीलदार राजस्व जोधपुर की एक संयुक्त टीम दिनांक 8.1.2019 को बनाई जाकर अवाप्ति संबंधी विस्तृत सर्वे प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.1.2019 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं का मूल्यांकन अभियांत्रिकी शाखा एवं खड़े पेड़ों का मूल्यांकन मण्डल वन अधिकारी जोधपुर से यथाशीघ्र प्राप्त कर मुआवजा गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

उक्त अवाप्ति प्रकरण में प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 46 के तहत् राज्य सरकार में निहित शक्तियों के तहत् परियोजना की स्वीकृति हेतु संयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को इस कार्यालय के पत्र कमांक 1968 दिनांक 30.1.2019 के द्वारा निवेदन किया गया। इस कम में नगरीय विकास विभाग राज, जयपुर के पत्र कमांक प–1(6)नविवि/जोधपुर/2019 दिनांक 18.2.2019 के द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

उक्त अवाप्ति प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 6.2.2019 के प्रस्ताव संख्या 18 में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण का अनुमोदन आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जावे। अतः इस कम में माता का थान भू अवाप्ति प्रकरण का प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि उक्त नाला निर्माण हेतु 30 फीट चौडाई में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। 30 फीट चौडी भूमि भविष्य में बढते हुए जनसंख्या के घनत्व एवं यातायात के दबाव को देखते हुए उक्त भूमि बहुत ही कम है क्योंकि नाला निर्माण के बाद नाला सफाई आदि के लिए सर्विस रोड की भी आवश्यकता रहेगी तथा यातायात का दबाव भी रहेगा। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रथम चरण में 30 फीट चौडाई में नाला निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यवाही के अनुसार अवाप्ति व नाला निर्माण की कार्यवाही की जावे तथा द्वितीय चरण में कुल जोधपुर मास्टर प्लान अनुसार प्रस्तावित 100 फीट चौडाई में भूमि अवाप्ति व नाला, सडक निर्माण आदि हेतु शेष 70 फीट चौड़ाई के लिए भूमि अवाप्ति व नाला निर्माण, सडक निर्माण व अन्य विकास कार्य करने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: भैरव नाला भू अवाप्ति प्रस्ताव अनुमोदनार्थ

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर प्रकरण संख्या डीबीसी/7038/2015 माधो सिंह कच्छवाहा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 13.11.2018 की पालना में जोधपुर शहर में बरसाती पानी के सुगम निकासी जोजरी नदी तक पहुंच हेतु भविष्यगामी योजना को दृष्टिगत रखते हुए भैरव नाला निर्माण हेतु प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम पाल, धिनाणा की ढाणी, सांगरिया एवं तनावडा के विभिन्न खसरान् की निजी खातेदारी भूमि की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 19.08.2014 के तहत तहसीलदार जोधपुर एवं प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित की गई। टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 13.04.2015 को प्रस्तुत की गई। उक्त परियोजना हेतु पब्लिक वर्क कमेटी की बैठक दिनांक 05.10.2018 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों हेतु अभिशंषा करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सुनिश्चितता तय की गई।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जेडीए/अवाप्ति /2018/1514–24 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा राजस्व कार्मिकों एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर भैरव नाला का विभिन्न ग्रामों से निकालते हुए जोजरी नदी तक एलायमेंट/मानचित्र तैयार करने, राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदारों का विवरण एवं अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अभियांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानते हुए अंतरिम वस्तुस्थिति निम्नानुसार है। राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदारों की रिपोर्ट अब तक अपेक्षित है।

क्र.स.	गांव का नाम	खसरा	कुल खसरों की संख्या	अवाप्ति योग्य क्षेत्रफल	अनुमानित राशि
1	पाल	294, 291, 292	03	8962.50 व.मी.	5,09,49,525/–

2	धिनाणा की ढाणी	465, 473, 474	03	4500.00 व.मी.	2,89,67,500/–
3	सांगरियां	305, 303, 302	03	13920.00 व.मी.	2,15,06,400/–
4	तनावड़ा	119, 121, 122	03	20640.00 व.मी.	6,67,31,040/–
		12	12	48022.50 व.मी. (29.67 बीघा)	16,81,54,465/–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रस्तावित भैरव नाले के एलायमेंट अनुसार नाले की चौडाई – फीट एवं लम्बाई लगभग 9.87 किलोमीटर हैं, जो उपरोक्त 4 गांवों के विभिन्न खसरान् की लगभग कुल रकबा 29.67 बीघा निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। उक्त भूमि में सरकारी भूमि भी शामिल है। राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर सही जानकारी ज्ञात होगी।

भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत संभावित मुआवजा राशि का निर्धारण/गणना संभव होगी।

क	सभी गांवों की डीएलसी दर अनुसार संभावित कीमत	16,81,54,465/–
ख	शत प्रतिशत सोलेशियम राशि	16,81,54,465/–
ग	10 प्रतिशत भौतिक संरचना एवं पेडों की राशि	1,68,15,447/–
	अवाप्ति हेतु संभावित व्यय का योग	35,31,24,377/–
घ	धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से अंतिम अवार्ड जारी होने की तिथि तक की ब्याज राशि की गणना की जानी बाद में संभव होगी।	
ड	नाला निर्माण हेतु संभावित राशि तकनीकी अधिकारियों द्वारा गणना कर अलग से बतलाया जाना संभव होगा।	

उक्त भैरव नाला निर्माण की सीमा में आने वाली भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं खडे पेडों की स्थिति ज्ञात करने एवं राजस्व अभिलेख अनुसार प्रभावित भूमिधारकों/खातेदारों की सूची तैयार करने हेतु प्राधिकरण के अभियांत्रिकी शाखा के तकनीकी अधिकारी, राजस्व शाखा के तहसीलदार एवं पटवारी तथा तहसीलदार राजस्व जोधपुर की एक संयुक्त टीम बनाई जाकर अवाप्ति संबंधी विस्तृत सर्वे कर वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र पेश करने हेतु पाबंद किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं पेडों का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान प्रभावित डीएलसी दर के अनुसार गणना की जाकर भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी संभव होगी।

इस प्रकरण में प्राधिकरण की सक्षम समिति के अनुमोदन एवं संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज जयपुर के पत्रांक प8(3) नविवि/01/2009/15.11.2018 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सहमति प्रदान की गई।

श्रीमान पूर्व में उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 6.2.2019 के प्रस्ताव संख्या 19 के अनुमोदन के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर केंट रेल्वे स्टेशन सम्पर्क सडक भू अधिग्रहण प्रस्ताव।

\ जोधपुर शहर विस्तार के साथ ही रेल्वे विभाग द्वारा जोधपुर केंट रेल्वे स्टेशन स्थापित किया। जहां रेल्वे स्टेशन भवन से मुख्य सड़क तक आने जाने के लिये सड़क नहीं होने के कारण आम जन को परेशानी होने के कारण जन उपयोग हेतु आम रास्ता निर्माण के लिये सड़क हेतु निजी खातेदारी भूमि

अधिग्रहण/क्रय करने हेतु एक प्रस्ताव आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 1सितम्बर, 2016 को प्रस्तावित किया गया जिस पर तकनीकी/राजस्व कार्मिकों की विस्तृत रिपोर्ट ली गई।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.2.2018 के प्रस्ताव संख्या 07 के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के तहत् जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम नांदडी सिथित जोधपुर केंट रेल्वे स्टेशन से जोधपुर जयपुर राज मार्ग हाईवे मुख्य सड़क तक आम जन की सुविधा हेतु सड़क निर्माण का सुझाव स्वीकार करते हुए आम सहमति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत् ग्राम नांदडी के खसरा संख्या 10 की निजी खातेदारी भूमि को आपसी समझाईश/करार (नेगोसिएशन) के आधार पर कय करने की सहमति प्रदान की है। चूंकि भूमी अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् अधिग्रहण किया जाता है तो लगभग दो वर्ष व्यतीत होने की संभावना को देखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत् उक्त प्रयोजन हेतु भूमि कय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित कय की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क.सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अवाप्ताधीन भूमि का क्षेत्रफल	वर्तमान बाजार मूल्य (डीएलसी दर)
01	नांदडी	10	80X195 – 15,600 व.फीट 1450 व.मी.	47,96,880/– प्रति बीघा 2963.34 प्र. व.मी. कुल– 42,96,843/--

भूमी अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् संभावित मुआवजा राशि का निर्धारण निम्नानुसार होगा।

1	डीएलसी दर अनुसार संभावित भूमि की कीमत–	42,96,863/–
2	शत प्रतिशत सोलेशियम राशि	42,96,863/–
3	भौतिक संरचनाओं एवं पेड़ों की मूल्यांकन राशि	9,52,644/–
	कुल अवाप्ति योग्य भुगतान राशि	95,46,370/–

अतः प्रस्तावित जोधपुर केंट रेल्वे स्टेशन जोधपुर केंट रेल्वे स्टेशन भवन से जोधपुर जयपुर हाईवे मुख्य सड़क तक सम्पर्क निर्माण हेतु प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील के ग्राम नांदडी के खसरा संख्या 10 की निजि खातेदारी भूमि को समझाईश/करार (नेगोसिएशन) के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45 के अन्तर्गत कय किये जाने एवं खातेदारों का अहित न हो इसको मध्य नजर रखते हुए भूमी अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् मुआवजा राशि भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु अधिग्रहण/क्रय की जाने वाली भूमि हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5.3.2019 की बैठक में अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि अवाप्त की जाने वाली भूमि भविष्य में बढते हुए जनसंख्या के घनत्व एवं यातायात के दबाव को देखते हुए उक्त भूमि बहुत ही कम है। अतः 60 मीटर चौडाई में मुख्य जोधपुर – जयपुर सडक से केन्ट रेलवे स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल तक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: SOP के Item संख्या 26 में संशोधन हेतु प्रस्तावित

वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर ने नोटिफिकेशन संख्या दिनांक 16.02.2018 द्वारा RTPPR की धारा 58,61,66,73 एवं 79एन में संशोधन किया गया है जिसके अर्न्तगत S.O.P के आईटम संख्या 26 में अतिरिक्त आईटम 5 प्रतिशत (value of original contract) तक ही स्वीकृत करवाया जा सकता है।

प्राधिकरण में दिनांक 06 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 09 द्वारां आवश्यक संशोधन किया जा चुका है जिसका निर्णय निम्नानुसार है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान शिड्यूल ऑफ पावर जो दिनांक 1 मई, 2017 से प्रभावी है में वित्त विभाग (जी एण्ड टी डिविजन) के आदेश संख्या एफ.2 (4) एफ.डी./पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड आर./99 पार्ट –II दिनांक 22 मार्च, 2018 के क्रम में आईटम संख्या 26 की वर्तमान प्रविष्ठि में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान निदेशक– अभियांत्रिकी ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई 2017 में ए.डी./एफ.सी. ऑफ आर. डब्ल्यू एस.एस.एम.बी की शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रदत्त थी और अब भी संशोधित प्रस्ताव में भी यह शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही निहित है। चूंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण किसी भी प्रोजेक्ट की स्वीकृति/संशोधन आदि का सर्वोच्च अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही हैं। इसमें राज्य सरकार की किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नही की जाती है इसलिए संशोधन में जहां भी एडमनसट्रेटिव डिपार्टमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है वहा पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का शब्द प्रयोग होना चाहिए। इस पर निदेशक– वित्त कार्यकारी समिति के समस्त सदस्यगणों आदि से विचार विमर्श किया एवं उनके इस प्रस्ताव को नियमानुकूल मानते हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अतः प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई 2017 के बिन्दु संख्या 26 की प्रविष्ठियां निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त संशोधन दिनांक 22 मार्च, 2018 से प्रभावी माने जाने का निर्णय लिया गया।

S.No.	Particulars	to whom delegatd	Powers
26.	To sanction execution and payment for extra items (BSR+Non BSR) as per bidding documents/conditions of contract.	PE/BID Sanctioning Authority	Total up to 5% of the value of te original contract amount as per provision of RTPP Rule 73(2) These powers shall exercised subject to the following:-

			Note 1: Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR + Non BSR) shall not exceed the administrative and financial for the work. Note 2 : Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR and Non BSR) do not exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR and Non BSR) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next highter authority. Note 3: The extra items should be part and parcel of the work under execution and should be fairly contingents to it and therefore the execution of items of works of different nature or execution of items or work of similar nature of another reach/site shall not be treated as extra item. Note 4: Total cost of all extra items shall not exceed the limits specified above. Note 5: Revised estimates have been got approved from the competent authority if the items are not provided for in original estimates. Note 6: Scale of accommodation or norms, types, designs sanctioned by GAD/ higher authority are not exceeded. Note 7: Material deviations from designs and scope of the project will require approval of the original sanctioning authority. Note 8: The rates of Non-BSR items shall be got approved from the DE (Director Engineering) before sanction of extra items. Note 9: The fair market value of such extra items payable by the Procuring Entity to the contractor shall be determined by the procuring Entity in accordance with guidelines prescribed by the Excutive committee of JoDA Jodhpur.

अतः प्राधिकरण के S.O.P में कार्यकारी समिति द्वारा किए गए उक्त संशोधन प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति के साथ कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: SOP के Item संख्या 19 में संशोधन हेतु प्रस्तावित

वित्त विभाग सूचना संख्या दिनांक 06.08.2018 (आर.टी.पी.पी रूलस 2013) 17,40,42,43,68,75 तथा नियम 32 में सीरियल नं. 38,39,42 व सामान्य शर्त सं. IV में संशोधन किया गया है।

प्राधिकरण की नवीन शक्तियों की अनुसूची दिनांक 01.05.2017 से प्रभावी है, के संदर्भ में पूर्व में दिनांक 06 फरवरी 2019 को प्राधिकरण में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा संशोधन किया जा चुका है जिसका निर्णय निम्नानुसार है।

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई 2017 से प्रभावी है, में प्राधिकरण बैठक को अन्तिम सक्षम बैठक माना गया है परन्तु बैठक में निदेशक– अभियांत्रिकी ने अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर मे किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का सर्वोच्च अधिकार कार्यकारी समिति को प्रदत्त है। इसमे राज्य सरकार या प्रशासनिक विभाग से कोई अनुमति लिये जाने का कोई प्रावधान नही है। लिहाजा जहां जहां वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त, 2018 में संबंधित प्रशासनिक विभाग (एडमनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट कन्सर्न)/फाईनेन्स कमेटी/बोर्ड/एम्पावर्ड बोर्ड आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को माना जावे। जिस पर निदेशक–वित्त एवं कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहनति जारी की एवं प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 19 को निम्न अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया कि उक्त दिनांक 6 अगस्त, 2018 से प्रभावी माना जावेगा।

S.No.	Authority Competent to take decision	Time allowed for decision
1	2	3
1.	Head of office or Executive Engineers	20 days
2.	Regional Oficer of Supertintending Engineers	30 days
3	Head of the Department or Chief Engineer/Additional Chief Engineeer/Director Engineering	40 days
4.	Executive Commiitee, JoDA Jodhpur	50 Days

Note:-

1- The period speciied above shall be inclusive of time taken in communication of acceptance of bid

2- If procuring entity is other than the department of the State Government or its attached or subordinate offices, the concerned administrative department shall specify the equivalent authority competent to take decision on the bid.

अतः प्राधिकरण के S.O.P में कार्यकारी समिति द्वारा किए गए उक्त संशोधन प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति के साथ कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: SOP के Item संख्या 27 में संशोधन हेतु प्रस्तावित

वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर ने नोटिफिकेशन संख्या दिनांक 22.03.2018 द्वारा RTPPR की धारा 73 (2) में संशोधन किया है जिसके अन्तर्गत S.O.P के आईटम संख्या 27 में EXCESS ITEM के संदर्भ पूर्व में दिनांक 06 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा संशोधन किया जा चुका है जिसका निर्णय निम्नानुसार है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान शिड्यूल ऑफ पावर जो दिनांक 1 मई, 2017 से प्रभावी है में वित्त विभाग (जी एण्ड टी डिविजन) के आदेश संख्या एफ.2 (4) एफ.डी./पी. डब्ल्यू.एफ. एण्ड आर./99 पार्ट–II दिनांक 22 मार्च, 2018 के क्रम में आईटम संख्या 27 की वर्तमान प्रविष्ठि में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी ने ध्यान आकर्षित किया गया प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई, 2017 में ए.डी./एफ.सी. ऑफ आर. डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी. की शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रदत्त थी और अब भी में ही निहित है। चूंकि किसी भी प्रोजेक्ट की स्वीकृति/संशोधन आदि का सर्वोच्च का अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही है। इसमें राज्य सरकार की किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नही की जाती है इसलिए संशोधन में जहां जहां भी एडमनसट्रेटिव डिपार्टमेन्ट शब्द का प्रयोग हुआ है वहा पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस पर निदेशक–वित्त कार्यकारी समिति के समस्त सदस्यगणों आदि से विचार विमर्श किया एवं उनके इस प्रस्ताव को नियमानुकूल मानते हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अतः प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक

1 मई 2017 के बिन्दु संख्या 27 की प्रविष्ठियां निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त संशोधन को दिनांक 22 मार्च, 2018 से प्रभावी माने जाने का निर्णय लिया गया

S.No.	Particulars	to whom delegatd	powers
1.	To sanction execution and payment of additional quantities of items existing in schedule-G or bill of quantities (BOQ) of a particular work.	EC	up to 50% of the original contract amount
		CE/DE	up to 25% of the original contract amount
		ACE/DE	up to 10% of the original contract amount
		SE	up to 08% of the original contract amount
		EE	up to 05% of the original contract amount In case the above limits exceed, the powers shall be exercised the next higher authourity (maximum upto A/D) assessing the prevalent tender premium, site and market limit of 50% as per the provisions of Rule 73(3) of RTPP Rules, 2013. These powers shall be exercised subject to the following conditions. Note 1 : Total amount of work including additional quantities (BSR+Non BSR) shall

			not exceed 50% of the value of original contract in any case as per provisions of RTPP Rule 73 (3). Note 2: Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) should not exceed the administrative and financial sanction for the work. Note 3 : Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR and Non -BSR) shall not exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (BSR and Non - BSR) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority. Note 4 : The additional quantities should be part and parcel of the work under execution and therefore even the execution of work of different nature or execution of quantities/work of similar nature of another reach/site shall not be treated as additionl quantity. Note 5 : Revised estimates, if required, have been approved by the competent authority. Note 6 : Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additionl quantities beyond 50% of the quanity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Administrative Department concerned as follow :- (i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be, recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities; (ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;

			(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case. Note 7 : Order for additional quantity may be placed, if allowed in bidding documents/ contract and the original order was given after inviting open competitive bids.

अतः प्राधिकरण के S.O.P में कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय को प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति के साथ कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2018/भाग–8 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 43/एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2019 / ७०७ – ७२२

दिनांक :: 11मार्च, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त–प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. ……………………………………………………………………………………

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–1

श्री ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 7 मार्च, 2019 को सांय 4.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस., आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री सुरेश कुमार औला, आई.ए.एस., आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
4. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री पी.आर. बेनीवाल, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
6. श्री किशन सिंह चौधरी, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
7. श्री नरेन्द्र बोहरा, उप आवासन आयुक्त–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
8. श्रीमती संगीता पंजवानी, अधीक्षण अभियन्ता (टीए टू जोनल चीफ इंजिनियर), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री जगदीश सिंह, अधिशाषी अभियन्ता (टीए टू एडिशनल चीफ इंजिनियर), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन, जोधपुर
10. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री लक्ष्मणराम विश्नोई, सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री ओम प्रकाश विश्नोई, सचिव (उपायुक्त–दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर